

भारतीय आयकर विवरणी पावती		निर्धारण वर्ष 2021-22	
[जहां आय विवरणी का डाटा आईटीआर-1(सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 में दायर किए गए तथा सत्यापित किए गए]			
(कृपया आय-कर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखिए)			
स्थायी खाता संख्या			
नाम			
पता			
स्थिति		फार्म संख्या	
धारा के अंतर्गत दायर		ई-फाइलिंग पावती संख्या	
कर योग्य आय तथा कर ब्यौरे	चालू वर्ष बिजनेस क्षति, यदि कोई हो	1	
	कुल आय		
	मैट के अंतर्गत बुक प्रोफिट, जहां लागू हो	2	
	एएमटी के अंतर्गत कुल आय जहां लागू हो	3	
	देय निवल कर	4	
	देय ब्याज तथा फीस	5	
	देय कुल कर, ब्याज तथा फीस	6	
	अदा किया गया कर	7	
(+देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (6-7)	8		
लाभांश वितरण कर ब्यौरे	देय लाभांश कर	9	
	देय ब्याज	10	
	देय कुल लाभांश कर तथा ब्याज	11	
	अदा किया गया कर	12	
	(+देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (11-12)	13	
मान्यता प्राप्त आय तथा कर ब्यौरे	धारा 115नघ के अनुसार मान्यता प्राप्त आय	14	
	धारा 115नघ के अंतर्गत देय अतिरिक्त कर	15	
	धारा 115नड के अंतर्गत देय ब्याज	16	
	देय अतिरिक्त कर तथा ब्याज	17	
	अदा किया गया कर तथा ब्याज	18	
	(+देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (17-18)	19	
दिनांक.....को इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणी .....आईटी पते से ..... द्वारा सत्यापित की गई.....पैन रखने वाले.....को.....पेपर आईटीआर सत्यापन फार्म/ इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का प्रयोग करके .....मोड के माध्यम से सुजित किया गया।			
सिस्टम सुजित बार कोड/क्यू आर कोड			

\* जहां लागू नहीं है, काट दें

इस पावती को सीपीसी, बैंगलूरु को नहीं भेजे .”

[अधिसूचना सं.21/2021 फा.सं. 370142/5/2021-टीपीएल]

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 212(अ) तारीख 26 मार्च, 2021 द्वारा किया गया था।

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान